

फा. सं. 36(3)/2019/कार्य एवं रख.

दिनांक: 20 अगस्त, 24

परिपत्र

निदेशक, भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.सा.अ.नु.सं की स्वीकृति उपरांत, संस्थान की आवासीय कालोनी अर्थात कृषि निकेतन, पश्चिम विहार नई दिल्ली स्थित आवासीय परिसर तथा कार्यालय परिसर में बनें क्वार्टरों में निवासियों को विवाह या अन्य समारोह हेतु उपलब्ध खाली क्वार्टरों को निम्न शर्तों पर दिया जाएगा।

1. खाली क्वार्टरों का कब्जा इस्टेट आफिसर की देख रेख में रहेगा तथा समय समय पर आंबंटियों को आवश्यकतानुसार प्रदान किया जाएगा।
2. क्वार्टरों का श्रेणी अनुसार शुल्क, निम्न प्रकार से लिया जाएगा।

क्र.सं.	श्रेणी	शुल्क	दर/प्रति दिन
1	टाईप II	लाइसेंस फीस + पानी चार्ज + बिजली चार्ज	450/-
2	टाईप III	लाइसेंस फीस + पानी चार्ज + बिजली चार्ज	550/-
3	टाईप IV	लाइसेंस फीस + पानी चार्ज + बिजली चार्ज	750/-

उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यक प्रतिभूति राशि (Non-Refundable) विवाह/अन्य समारोह से पूर्व साफ-सफाई हेतु जमा करानी होगी : रू0 500/-.

3. उपयोग के दौरान क्वाटर में लगी फिटिंग की टूट फूट और शौचालय तथा कमरो की साफ-सफाई की जिम्मेदारी सम्बन्धित आंबंटी की होगी।
4. किसी प्रकार की टूट फूट की भरपाई सम्बन्धित आंबंटी की होगी।
5. क्वाटर में मधपान या अन्य प्रकार की अवांछित कार्यवाही नहीं की जाएगी अन्यथा सम्बन्धित आंबंटी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

नीलम
20/8/24

(नीलम सेठी)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:-

1. समस्त कृषि निकेतन एवं संस्थान परिसर के आवासीय क्वार्टर के आंबंटियों को सूचना हेतु।
2. समस्त प्रभागाध्यक्ष/ अनुभागाध्यक्ष एवं पुस्तकालयाध्यक्ष, भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.सा.अ.नु.सं।
3. निजी सचिव, निदेशक भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.सा.अ.नु.सं।
4. निजी सचिव, कार्यालय प्रधान, भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.सा.अ.नु.सं।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्त एवं लेखा अधिकारी भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.सा.अ.नु.सं।
6. इस्टेट आफिसर, भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.सा.अ.नु.सं।
7. सचिव आई.जे.एस.सी. भा.कृ.अ.प.-भा.कृ.सा.अ.नु.सं।
8. प्रभारी कृषि निकेतन पूछताछ कार्यालय, कृषि निकेतन, पश्चिम विहार, नई दिल्ली।